

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला बिलासपुर (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक/आब./अप./2024-25/7324

बिलासपुर, दिनांक 27.12.2024

—00—

सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त बिलासपुर पश्चिम द्वारा कायम प्रकरण पी.8— क्रमांक 144 दिनांक 06.12.2024 कायम किया गया था। तत्संबंध में कलेक्टर (आबकारी) बिलासपुर द्वारा लायसेंसी श्री मेघराज जीवनानी, एफ.एल. 3 हैवेन्स पार्क होटल बार को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 7030 दिनांक 09.12.2024 जारी किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण में दर्शित अनियमितता गंभीर प्रकृति के होने के कारण लायसेंसी को दोषी मानते हुये छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1)(ख) के तहत लायसेंसी को स्वीकृत एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति दिनांक 11.01.2025 तक कुल 15 दिवस के लिये निलंबित किया जाता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)


सहायक आयुक्त आबकारी
हेतु कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/आब./अप./2024-25/7324

बिलासपुर, दिनांक 27.12.2024

प्रतिलिपि :-

- 1) आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3) सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल प्रभारी बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4) प्रभारी अधिकारी वृत्त बिलासपुर पश्चिम की ओर सूचनार्थ एवं सील बंद करने हेतु पालनार्थ।
- 5) लायसेंसी श्री मेघराज जीवनानी, एफ.एल. 3 हैवेन्स पार्क होटल बार बिलासपुर की ओर पालनार्थ अग्रेषित। आप अनुज्ञप्ति निलंबन अवधि में बार का संचालन न करें।


सहायक आयुक्त आबकारी
हेतु कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)